

**HIGH COURT OF MADHYA PRADESH, JABALPUR**


Endorsement No. D/2346                      Jabalpur, dated 21.3.2018

The Notifications of the Government of M.P., Department of Law and Legislative Affairs F.No.17(E)83/03/21-B(one)/448/2018, Bhopal, dated 20.3.2018 and F.No. 17(E)83/03/21-B(1)/1191/18, Bhopal, dated 20.3.2018, issued as per the provisions of Section 153(2) and 153(1) respectively of the Electricity Act, 2003 is forwarded to;

1. Registrar cum P.P.S. to Hon'ble the Chief Justice, High Court of M. P., Jabalpur for kind information of Hon'ble the Chief Justice,
2. The Registrar General, High Court of M.P., Jabalpur for kind information,
3. Principal Registrar, High Court of M.P. Bench at Gwalior and Indore for information,
4. The District and Sessions Judge, Chhatarpur and Mandleshwar for information and necessary action,
5. Shri Atul Saxena, Additional Sessions Judge, Bhikangaon and Shri Bharat Singh Rawat, Additional Sessions Judge, Lavkush Nagar for information, necessary action and compliance,
6. The Deputy Registrar, Confidential and the Section Officer, Checker, High Court of M.P., Jabalpur for information,
7. The Registrar (I.T.) for appropriate action in connection with uploading the notification on the website of the High Court.

*Vivek Saxena*  
21.3.2018  
(Vivek Saxena)  
O.S.D. (D.E.)

539



## विधि और विधायी कार्य विभाग

### अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 12/03/2018

क्रमांक 17(ई)83/03/21-ब(एक)/1191/018, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा-153 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 17(ई)83-2003-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 16 सितम्बर, 2010 में, जो मध्य प्रदेश राजपत्र भाग-1 में, दिनांक 24 सितम्बर, 2010 में प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :-

### संशोधन

उक्त अधिसूचना में सारणी में, अनुक्रमांक 18, 19, 20, 20-ए, 110, 111, 112 एवं 113 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएँ, अर्थात्:-

### सारणी

अनुक्रमांक	सिविल जिले का नाम	विशेष न्यायालय का नाम	विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता (विद्युत क्षेत्र के अनुसार)
(1)	(2)	(3)	(4)
18.	छतरपुर	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, छतरपुर	सिविल जिला छतरपुर का समस्त विद्युत क्षेत्र (अनुक्रमांक 19, 20 एवं 20-ए के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर)
19.	छतरपुर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, नौगांव	नौगांव का विद्युत क्षेत्र।
20.	छतरपुर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बिजावर	बिजावर का विद्युत क्षेत्र।
20-ए.	छतरपुर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, लवकुशनगर	लवकुशनगर का विद्युत क्षेत्र।
110.	पश्चिम निमाड़ मण्डलेश्वर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मण्डलेश्वर	सिविल जिला मण्डलेश्वर का समस्त विद्युत क्षेत्र (अनुक्रमांक 111, 112 एवं 113 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर)
111.	पश्चिम निमाड़ मण्डलेश्वर	पथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, खरगोन	खरगोन का विद्युत क्षेत्र।
112.	पश्चिम निमाड़ मण्डलेश्वर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बड़वाह	सनावद तथा बड़वाह का विद्युत क्षेत्र।
113.	पश्चिम निमाड़ मण्डलेश्वर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, भीकनगांव	भीकनगांव का विद्युत क्षेत्र।

21 MAR 2018

REGISTRAR GENERAL  
HIGH COURT OF M.P.  
JABALPUR

O.S.D.(J.E.)

## NOTIFICATION

F.No. 17(E)83/03/21-B(1)/1191/18, In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendments in this department's Notification F No. 17(E)83-03-XXI-B(1) dated 16<sup>th</sup> September, 2010, which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part-1, dated 24<sup>th</sup> September, 2010, namely :-

## AMENDMENT

In the said Notification, in the table, for serial numbers 18, 19, 20, 20-A, 110, 111, 112 and 113 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

TABLE

S. No.	Name of the Civil District	Name of Special Court	Territorial jurisdiction of Special Court (According to the electricity Area)
(1)	(2)	(3)	(4)
18.	Chhatarpur	1 <sup>st</sup> Additional Sessions Judge, Chhatarpur	All electricity area of Civil District Chhatarpur (excluding the territorial jurisdiction of Special Courts given at serial number 19, 20 & 20-A)
19.	Chhatarpur	Additional Sessions Judge, Nowgaon	Electricity area of Nowgaon.
20.	Chhatarpur	Additional Sessions Judge Bijawar	Electricity area of Bijawar.
20-A.	Chhatarpur	Additional Sessions Judge, Luvkushnagar	Electricity area of Luvkushnagar.
110.	West Nimad Mandleshwar	Additional Sessions Judge, Mandleshwar	All electricity area of Civil District Mandleshwar (excluding the territorial jurisdiction of Special Courts given at serial number 111, 112 & 113).
111.	West Nimad Mandleshwar	1 <sup>st</sup> Additional Sessions Judge, Khargone	Electricity area of Khargone.
112.	West Nimad Mandleshwar	Additional Sessions Judge, Barwah	Electricity area of Sanawad & Barwah

113.	West Nimad Mandleshwar	Additional Sessions Judge, Bhikangane	Electricity area of Bhikangane.
------	---------------------------	---	------------------------------------

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(ए. एम. सुक्सेना)  
प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

फाक 17(ई)83/03/21-अ(क)/1191/2018.  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 22/03/2018


1. रजिस्ट्रार जनरल, म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर के पत्र क्र 8/1163/III-6-4/03-IX.  
दिनांक 24.02.2018 के संदर्भ में,
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन उच्च विभाग, मंत्रालय, भोपाल,  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु,
3. उक्त निबंधक, शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल, की ओर म.प्र. राजपत्र भाग-एक के  
आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
4. शाखा प्रभारी, आय.टी.शाखा, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल की ओर अधिसूचना  
की प्रति नेट पर अपलोड करने बाबत प्रेषित।

(आर.के.वाणी)  
सचिव

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

573

मध्य प्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग



मो.बाल. दिनांक 20 / 03 / 2018

फा.क्रमांक 17(ई)83/03/21-B(One)-448/2018, विद्युत अधिनियम 2003 (2003 का 36) की धारा 153 की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा.क्रमांक 17(ई) 83/03/इककीस ब(एक), दिनांक 16 सितंबर 2010 में, जो मध्य प्रदेश राजपत्र, भाग-1 में दिनांक 24 सितंबर, 2010 में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

**संशोधन**

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 20-ए एवं 113 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों स्थापित की जाएं अर्थात् :-

**सारणी**

स.क्र.	सिविल जिले का नाम	विशेष न्यायालय का नाम	विशेष न्यायालय के न्यायालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
20-ए	छत्तरपुर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, लवकुश नगर	श्री भारत सिंह रावत, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, लवकुश नगर
113	पश्चिम निमाड मण्डलेश्वर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, भीकनगांव	श्री अतुल सखराना, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, भीकनगांव

**NOTIFICATION**

F.No. 17(E)83/03/21-B(one)-448/2018, In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 153 of the Electricity Act, 2003 (No.36 of 2003), the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendments in this department's Notification F.No.17(E) 83/03/21 B (1), dated 16th September, 2010, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-1, dated 24th September, 2010, namely:-

**AMENDMENT**

In the said notification, in the table, for serial numbers 20-A and 113 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

S. No.	Name of the Civil District	Name of Special Court	Name of the Judge of the Special Court
(1)	(2)	(3)	(4)
20-A	Chhatarpur	Additional Sessions Judge, Luvkushnagar	Shri Bharat Singh Rawat, Additional Sessions Judge, Luvkushnagar

REGISTRAR GENERAL  
HIGH COURT OF M.P.  
JABALPUR  
O.S.D.(D.E.)

113.	West Nimad Mandleshwar	Additional Sessions Judge, Bhikangaon	Shri Atul Saxena, Additional Sessions Judge, Bhikangaon
------	---------------------------	--	---

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुरार,

(ए. एम. सक्सेना)  
प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

फाक्र 17(ई)83/03/21-~~(एके)~~/1191/2018

भोपाल, दिनांक 22/03/2018

प्रतिलिपि:-

1. रजिस्ट्रार जनरल, म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर के पत्र क्र B/1163/III-6-4/03-IX, दिनांक 24.02.2018 के सदरमें में।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, उर्जा विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. उप नियंत्रक, शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल, की ओर म.प्र. राजपत्र भाग-एक के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
4. शाखा प्रभारी, आय.टी. शाखा विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल की ओर अधिसूचना की प्रति नेट पर अपलोड करने वाबत प्रेषित।

(आर.के.वाणी)  
सचिव

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग